

केन्द्रीय सैनिक बोर्ड से मिलने वाली आर्थिक सहायता

क्र.स.	मद	धनराशि (रूपये में)	
1.	सभी वर्ग के पूर्व सैनिकों हेतु एकमुश्त पैन्थूरी ग्रांट (65 वर्ष की आयु से अधिक ।	₹ 4000 /—	केवल नान-पेंशनर को देय
2.	मेडिकल ग्रांट (नान-ई0सी0एच0एस0 मेम्बर हेतु)	₹ 30000 /— अधिकतम	
3.	मेडिकल ग्रांट (नेपाली मूल के पूर्व सैनिक जो नेपाल में निवास कर रहे हैं)	₹ 30000 /— अधिकतम	
4.	<u>मकान मरम्मत हेतु अनुदान</u> (आर्थिक रूप से कमजोर पूर्व सैनिक, विधवायें एवं शत-प्रतिशत अशक्त पूर्व सैनिक हेतु)	₹ 20000 /—	नान-पेंशनर एवं केवल
5.	विधवाओं को पूर्व सैनिक के दाह संस्कार हेतु अनुदान ।	₹ 5000 /—	हवलदार रैंक तक के
6.	<u>विवाह हेतु अनुदान :-</u> (क) पूर्व सैनिकों एवं विधवाओं की दो पुत्रीयों के विवाह हेतु अनुदान । (ख) विधवाओं के पुर्नविवाह हेतु अनुदान ।	₹ 50000 /—	पूर्व सैनिकों के लिये अनुमन्य
7.	<u>शिक्षा अनुदान</u> (क) स्नातक कक्षा तक बालक तथा बालिका हेतु । (ख) विधवाओं हेतु स्नातकोत्तर कक्षा तक	₹ 1000 /— प्रतिमाह ₹ 1000 /— प्रतिमाह	नान-पेंशनर एवं केवल हवलदार रैंक तक के पूर्व सैनिकों के लिये अनुमन्य

क्र. स.	मद	धनराशि (रूपये में)	
	<p>(ग) <u>विधवा हेतु</u></p> <p>(i) वोकेशनल प्रशिक्षण पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति (केवल एक बार अनुमन्य)</p> <p>(ii) किताबों एवं स्टेशनरी पर होने वाले खर्च की प्रतिपूर्ति (वर्ष में एक बार ही शिक्षा भत्ता के साथ क्लेम होगा)।</p> <p>(iii) स्नाकोत्तर शिक्षा हेतु</p> <p>(घ) एन0डी0ए0 में प्रशिक्षण के दौरान देय भत्ता</p>	<p>₹ 20,000 /— (अधिकतम)</p> <p>₹ 1,000 /— प्रतिवर्ष</p> <p>₹ 600 /— प्रतिमाह</p> <p>₹ 1000 /— प्रतिमाह</p>	<p>नान— पेंशनर एव केवल हविलदार रैंक तक के पूर्व सैनिकों के लिये अनुमन्य</p>
8.	<p><u>निराश्रित अनुदान (वार्षिकी) :-</u></p> <p>(क) सभी वर्गों के पूर्व सैनिकों की अनाथ पुत्रीयों हेतु अनुदान (विवाह होने तक या 21 वर्ष की उम्र जो भी पहले हो) ।</p> <p>(ख) सभी वर्गों के पूर्व सैनिकों के अनाथ(एक पुत्र) हेतु अनुदान (12वीं कक्षा तक या 18 साल की उम्र जो भी पहले हो) ।</p> <p>(ग) निःशक्त बच्चों हेतु अनुदान ।</p>	<p>₹1000 /— प्रतिमाह</p> <p>₹1000 /— प्रतिमाह</p> <p>₹500 /— प्रतिमाह</p>	<p>सभी रैंक के पूर्व सैनिकों के लिये अनुमन्य ।</p>

क्र. स.	मद	धनराशि (रूपये में)
9.	प्रधान मंत्री छात्रवृत्ति योजना ।	इंजीनियरिंग, मेडिसिन डेन्टल, वेटनरी, एम0बी0ए0, एम0सी0ए0 फार्मा, नर्सिंग, बी0एड0, एम0एड0, वी0पी0एड0, एम0पी0एड0, यू0जी0 / पी0जी0 फिजीओथेरेपी व लॉ इत्यादि हेतु। ₹ 2000 / – प्रतिमाह (लड़कों हेतु)। ₹ 2250 / – प्रतिमाह (लड़कियों हेतु)। अभ्यर्थी का 12वीं की परीक्षा में 60 प्रतिशत अंको से उत्तीर्ण होना आवश्यक है।

अन्य सुविधायें

10 रेल यात्रा में छूट ।

(क) परमवीर चक्र, महावीर चक्र, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र और शौर्य चक्र से अंलकृत सैनिकों व विधवाओं को द्वितीय श्रेणी वातानुकूलित यान में मुफ्त रेल यात्रा ।

(ख) कारगिल व आई0पी0के0एफ0 के शहीद सैनिकों की विधवाओं को स्लीपर क्लास यान से यात्रा में 75 प्रतिशत छूट ।

11. वायु यात्रा में छूट ।

(क) परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, विक्टोरिया क्रस, जार्ज क्रस, डिरिस्टिंग्वीस सर्विस क्रस, मिलीट्री क्रस, डिरिस्टिंग्वीस फ्लाइंग क्रस व जार्ज मेडल से अंलकृत सैनिकों व विधवाओं को 75 प्रतिशत की छूट ।

(ख) युद्ध अपंग सेवामुक्त अधिकारी व आश्रित सदस्य को 50 प्रतिशत की छूट ।

(ग) स्वतंत्रता पूर्व की युद्ध विधवाओं को 50 प्रतिशत की छूट ।

12. टेलीफोन सुविधा। पंजीकरण व स्थापना शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट। निम्नलिखित वीरता पदक से अलंकृत सैनिकों/ विधवाओं को साधारण किराये में पूरी छूट :-

- (क) परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र, शौर्य चक्र।
- (ख) युद्ध विधवाओं।
- (ग) युद्ध अपंग सैनिक।

13. एम0बी0बी0एस0 / बी0डी0एस0 में प्रवेश। वर्तमान में 30 सीटें एम0बी0बी0एस0 व एक सीट बी0डी0एस0 में आश्रितों के लिये निम्नलिखित प्राथमिकता के आधार पर आरक्षित हैं:-

- (क) युद्ध में शहीद।
- (ख) युद्ध अपंग एवं अपंगता के कारण सेवामुक्त।
- (ग) सेवाकाल के दौरान सैन्य सेवा के कारणमृत्यु होने वाले सैनिक के आश्रित।
- (घ) सेवाकाल के दौरान अपंगता के कारण सेवामुक्त सैनिक के आश्रित।
- (ङ) वीरता पदक प्राप्त सैनिक के आश्रित।

14. आ0आई0टी0 में प्रवेश। संयुक्त प्रवेश परीक्षा के उपरान्त मुम्बई, दिल्ली, कानपुर, खड़गपुर, मद्रास, रूड़की, बी0एच0यू0, आई0टी0 संस्थानों में प्रत्येक संस्थान में दो सीटें प्राथमिकता पर प्रवेश।

15. सेवायोजन में आरक्षण। केन्द्र सरकार के विभागों में पूर्व सैनिकों हेतु निम्न आरक्षण उपलब्ध है:-

विवरण	ग्रुप 'क'	ग्रुप 'ग'	ग्रुप 'घ'
केन्द्रीय मंत्रालय / विभाग	—	10 प्रतिशत	20 प्रतिशत
लोक उपक्रम / राष्ट्रीयकृत बैंक	7 प्रतिशत	14.5 प्रतिशत	24.5 प्रतिशत

16. तेल उत्पाद एजेन्सी । पेट्रोल पम्प व गैस एजेन्सी आवंटन में 8 प्रतिशत का आरक्षण निम्न प्राथमिकता के अनुसार :-

(क) **प्राथमिकता-एक :-** मरणोपरान्त वीरता पदक से अलंकृत सैनिक की विधवा / आश्रित ।

(ख) **प्राथमिकता-दो :-** युद्ध में शहीद सैनिक की विधवा / आश्रित ।

(ग) **प्राथमिकता-तीन :-** युद्ध अपंग सैनिक ।

(घ) **प्राथमिकता-चार :-** सेना की सेवा कारणों से मृतक सैनिक की विधवा / आश्रित ।

(ङ) **प्राथमिकता-पांच :-** शांतिकाल में सेना की सेवा कारणों से अपंग हुए सैनिक ।

17. सेना की फालतू गाड़ियों का आवंटन । पूर्व सैनिकों / विधवाओं को फालतू गाड़ियों का आवंटन किया जाता है ।

18. दृष्टीहीन पूर्व सैनिक / उनके आश्रितों के लिये विशेष प्रशिक्षण । दृष्टीहीन पूर्व सैनिक / उनके आश्रितों के लिये विशेष प्रशिक्षण हेतु ₹ 5000 / - की धनराशी अनुमन्य ।

19 नेपाली मूल के भूतपूर्व सैनिकों के लिये ई0सी0एच0एस0 सुविधा । नेपाली निवासी भूतपूर्व सैनिक जिनका घर का पता यद्यपि नेपाल का है और वे भारत में निवास कर रहे हैं तो भी वे अपनी इच्छानुसार किसी भी ई0सी0एच0एस0 पालिक्लिनिक में अपना पंजीकरण करवा सकते हैं । पेन्शन न पाने वाले गोरखा पूर्व सैनिक पहले की तरह रक्षा मन्त्री विवेकाधीन कोष से सहायता पाने के पात्र हैं ।